रजिस्ट्री सं. डी एल -33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 1994/भाद्र 21, 1916
No. 454] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 1994/BHADRA 21, 1916

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान समाहर्ता का कार्यालय

अधिसूचना

मद्रास, 24 अगस्त, 1994

सं. 13/94-सी.शु. (एन.टी.) एम.जेड.ओ.

का.आ. 662(अ).—एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1-7-1994 की अधिसूचना सं. 33/94(एन.टी.) सीमाशुल्क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अधीन तमिलनाडु राज्य के कामराजार जिले के राजपालयम् तहसील के "पुदुपालयम" गांव को भाण्डागार केन्द्र घोषित किया जाता है।

[सी. सख्या : VIII/48/49/94-एम.जेड.ओ.]
एस.आर. नारायणन, प्रधान समाहर्ता

OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Madras, the 24th August, 1994

No. 13/94-Customs(NT) MZO

S.O. 662(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94(NT) Customs, dated 1st July, 1994 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 'PUDUPALAYAM' village, Rajapalayam Tehsil, Kamarajar District in the State of Tamilnadu is hereby declared to be a warehousing station under Section 9 of Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[C. No. VIII/48/49/94-MZO]

S. R. NARAYANAN, Principal Collector

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994